(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशं./भू.रा./2017/3243 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.08.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 312/अपील/15-16.

---

1. कमल किशोर आ. रामकिशोर चौधरी
2. ब्रजकिशोर आ. रामकिशोर चौधरी

दोनों निवासी ग्राम काजलखेड़ी, तहसील बाबई
जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....आवेदकग

विरूद्ध

गनपति बाई पत्नी रामकिशोर,
निवासी ग्राम काजलखेड़ी, तहसील बावई
जिला होशंगाबाद, म.प्र.
हाल मुकाम ई.डब्ल्यू.एस.-77,
ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
होशंगाबाद, तह. व जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम.के. कुलश्रेष्ठ, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 09.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बुधवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 80/2 रकबा 7.82 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेख में अनावेदिका गनपति बाई के नाम दर्ज थी, जो अनावेदिका को उसके पिता द्वारका प्रसाद द्वारा प्राप्त हुई थी, जिस पर आवेदकगण द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 17 प्रमाणीकरण दिनांक 15.11.2008 द्वारा कमल किशोर एवं ब्रजकिशोर के नाम पर दर्ज की गई। उक्त संशोधन के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण 02/अपील/12-13 दर्ज कर दिनांक 05.12.2014 को आदेश पारित कर संशोधन पंजी 17 प्रमाणीकरण दिनांक 15.11.2008 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 09.08.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि संशोधन पंजी पर गनपति बाई के हस्ताक्षर हैं। इसके उपरांत भी केवल इस आधार पर कि गनपति बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर 'किसी भी प्रकार का आवेदन या सहमति किये जाने से इंकार किया है।' केवल अपील मेमो के लेख को बिना जांच किये सही मानकर विधि की गंभीर भूल की है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अनावेदिका द्वारा पूर्व में सक्षम अधिकारी के समक्ष दी गई सम्मती व सहमति को चार वर्षों पश्चात् केवल अपील मेमो में झुठलाने पर सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त कर विधि की गंभीर भूल की है।

(3) गनपति बाई द्वारा संहिता की धारा 178(ए) के प्रावधान अनुसार अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों विधिक वारिसों के नाम भूमि दर्ज करवाई एवं चार वर्ष पश्चात् मन बदल जाने पर कार्यवाही के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है। अनुविभागीय अधिकारी को यह देखना चाहिए था कि झूठे आधारों पर प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार कियि जाने योग्य है।

(4) अपर आयुक्त ने प्रथम अपील न्यायायल में आदेश को यथावत रखकर विधि की गंभीर भूल की है। प्रथम अपील न्यायालय ने समयावधि बाह्य अपील को बिना उचित, वैध कारणों के स्वीकार की थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपर आयुक्त को प्रथम अपील में पारित आदेश को निरस्त कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार करना चाहिए था।

(5) अपर आयुक्त ने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं न्याय दृष्टांतों की अनदेखी कर विधि की गंभीर भूल की है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार द्वारा पारित संशोधन यथावत रखने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण एवं अनावेदिका आपस में पुत्रगण एवं माता है। अनावेदिका गनपति बाई को उक्त प्रश्नाधीन भूमि उसके अपने पिता से मिली थी, जिस पर मालिकाना हक एवं स्वत्व स्वयं गनपति बाई का है, वह एक मानसिक रूप से स्वस्थ्य एवं दुर्बल महिला है।

(2) अनावेदिका ने अपने जीवनकाल में आवेदकगण के पक्ष में रजिस्टर्ड पारिवारिक व्यवस्था पत्र (जिसे साक्ष्य में सबूत किया गया हो) अथवा प्रश्नाधीन भूमि स्वामी का हक त्याग विलेख कभी नहीं किया गया है।

(3) अनावेदिका की तबियत सन् 2007 व 2008 के दौरान अत्यंत खराब हो गई थी, उसी दौरान आवेदकगण ने मौके का फायदा उठाकर तहसीलदार एवं पटवारी से सांठगांठ करके संशोधित पंजी पर फर्जी हस्ताक्षर किये हैं। जब घटना की जानकारी गनपति बाई को हुई तब उसने अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी में की। गनपति बाई ने न्यायालय में उपस्थित होकर संशोधित पंजी एवं आवेदन पत्रों पर उसके द्वारा हस्ताक्षर होना अस्वीकार किया और बताया कि प्रश्नाधीन भूमि का मैंने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं किया। उसकी अपील दिनांक 05.12.2014 को स्वीकार कर ली और अनावेदिका के पक्ष में निर्णय किया। आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की वहां पर भी स्वयं गनपति बाई उपस्थित होकर उनके द्वारा संशोधित पंजी क्रमांक 17 पर हस्ताक्षर करना अस्वीकार किया और आवेदकगण के पक्ष में

स्वयं का भू-स्वामित्व का रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अथवा रजिस्टर्ड पारिवारिक व्यवस्थापत्र जैसा कोई दस्तावेज सम्पादित नहीं किया है। दिनांक 09.08.2017 को आवेदकगण की अपील को अस्वीकार कर दिया।

(4) अनावेदिका ने उक्त प्रश्नाधीन भूमि को अपने जीवनकाल में न तो कोई रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख एवं न ही रजिस्टर्ड पारिवारिक व्यवस्था पत्र सम्पादित किया और न ही आज दिनांक तक बंटवारा किया है।

(5) अनावेदिका गनपति बाई इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कहती है कि प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित संशोधित पंजी व उसमें उपयोग किये गये आवेदन पत्रों पर जो हस्ताक्षर हैं, वह मेरे द्वारा नहीं किये गये हैं। यह आवेदकगण ने पटवारी से सांठगांठ करके फर्जी हस्ताक्षर किये हैं और न ही मैंने आज दिनांक तक अपने स्वयं की भूमि का बंटवारा किया है। आज मेरी उम्र लगभग 80 वर्ष की है।

(6) तहसीलदार ने प्रविष्टि को प्रमाणित करने से पूर्व न तो गनपति बाई को बुलाकर सत्यापित किया गया और यदि कूटरचित पारिवारिक बंटवारा बताया गया है तो तहसीलदार को गनपति बाई के सभी पुत्रों के हस्ताक्षर युक्त पत्र को सत्यापित किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। तहसीलदार के पास आवेदकगण को कोई रजिस्टर्ड भूमि स्वामी का हक त्याग पत्र अथवा रजिस्टर्ड पारिवारिक पत्र, जिसमें सभी पुत्रों के हस्ताक्षर हुए हों, ऐसा पत्र बिना उपलब्ध हुए आवेदकगण के नाम में कैसे कर दी गई, यह इस न्यायालय के समक्ष सोचनीय प्रश्न है। यदि इस तरह से कूटरचित रीति से भूमि का अंतरण पंजी में नाम दर्ज होता है तो न्यायालय पर से भरोसा उठ जायेगा।

(7) आवेदकगण की निगरानी के तथ्य व मुद्दे असत्य होने से निरस्त किये जाने योग्य एवं अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की है।

अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह तो स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका के नाम पर दर्ज थी, जिसे आवेदन पत्र एवं कब्जे के आधार पर आवेदकगण के मध्य विभाजित किया गया है, परंतु पटवारी की टीप में आवेदन पत्र अनावेदिका द्वारा दिया जाना दर्शाया गया है एवं

तहसीलदार के प्रमाणीकरण में आवेदकगण के पक्ष में होने से प्रविष्टि प्रमाणित करने का उल्लेख किया गया है, जबकि वही गनपतीबाई अपील में किसी प्रकार का आवेदन अथवा अपनी सहमति दिये जाने से इंकार कर रही है तथा अनावेदिका के अन्य पुत्र भी हैं, उन्हें भी तहसील न्यायालय में नहीं सुना गया। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन संशोधन क्रमांक 17 प्रमाणीकरण दिनांक 15.11.2008 निरस्त करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है, अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.08.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर